न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:–जीसीएमएस नं. 2021/272

1. राधेश्याम आयु 78 वर्ष,
2. नन्दलाल आयु 68 वर्ष,
3. कैलाश आयु 65 वर्ष पुत्रगण जीवणराम जाति महाजन मोदी निवासीगण अजीतगढ़ तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर झुन्झुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मण्डावा जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:–

1. **श्री दलीपसिंह करनावत, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही।**

निर्णय

दिनांक: 23.12.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट्स की पट्टेशुदा मिल्कियत व कब्जे की आबादी की भूमि 900 वर्गगज वाके ग्राम अजीतगढ़ उप तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की बाबत पटवारी हल्का अजीतगढ़ ने एक गलत रिपोर्ट नायब तहसीलदार मण्डावा को दिनांक 12.01.2021 को इस आशय की पेश की कि ग्राम अजीतगढ़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 4.25 हैक्टयर गैर मु. बणी में से 851 वर्गमीटर भूमि पर राधेश्याम, नन्दलाल, कैलाश पुत्रान जीवनणराम जाति महाजन निवासी ने पत्थर लगाकर तारबंदी कर अतिक्रमण किया है, पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण नायब तहसीलदार ने दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलान्ट्स द्वारा जवाब नोटिस मय प्रतिलिपि पट्टा दिनांक 15.05.1972 ग्राम पंचायत अजीतगढ़ का जो अपीलान्ट के पिता श्री जीवणराम मोदी वल्द श्री शिवलाल मोदी को जारी किया गया था, पेश किया उसके उपरान्त भी नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को बिना सुने ही गलत व गैरकानूनी रूप से निर्णय दिनांक 20.04.2021 पारित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा भी प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर विधि अनुसार कोई गौर किये बिना ही दिनांक 16.08.2021 को गैरकानूनी निर्णय पारित कर दिया गया। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त होने योग्य है।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट की पट्टेशुदा भूमि 900 वर्गगज वाके ग्राम अजीतगढ़ आबादी की भूमि है व उसके आस–पास आबादी बसी हुई है, अपीलान्ट्स के पिता के पास रिहायश की भूमि पर्याप्त न होने से उनके प्रार्थना पत्र पर वादग्रस्त भूमि का पट्टा आबादी हेतु अपीलान्ट के पिता जीवणराम मोदी को दिनांक 15.05.1972 को ग्राम पंचायत अजीतगढ़ द्वारा जारी किया गया है, अपीलान्ट के पिता जीवणराम उक्त पट्टेशुदा भूमि वादग्रस्त 900 वर्गगज भूमि के मालिक व काबिज थे एवं अपीलान्ट्स के पिता जीवणराम का देहान्त हो जाने के पश्चात् उसके वारिसान अपीलान्ट्स उक्त 900 वर्गगज भूमि के मालिक व काबिज हो गये तथा अपीलान्ट्स की मिल्कियत व कब्जे की उक्त 900 वर्गगज भूमि वादग्रस्त आबादी की भूमि है, आबादी भूमि की बाबत भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही कानूनन नही की जा सकती है तथा आबादी की भूमि बाबत किसी प्रकार की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नायब तहसीलदार मण्डावा को कानूनन प्रदत्त नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त पट्टे से सम्बन्धित खसरा नम्बर 182 रकबा 4.25 हैक्टयर, गत खसरा नम्बर 148 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा था एवं ग्राम पंचायत अज़ीतगढ़ ने अपनी बैठक दिनांक 12.10.1975 व 31.07.1976 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ग्राम अजीतगढ मे आबादी विस्तार के लिऐ भूमि आवंटन करने की प्रार्थना तहसीलदार झुन्झुनू से की थी उन्होने इस प्रयोजन हेतु ग्राम अजीतगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 148, 149, तथा खसरा नम्बर 153 में से कुल 15 बीघा भूमि आवंटन करने के लिऐ तहसीलदार से निवेदन किया तथा सरपंच ग्राम पंचायत अजीतगढ ने अपने आवेदन पत्र में यह भी निवेदन किया कि प्रस्तावित भूमि आबादी के पास है, पहले यहॉ ही ग्राम पंचायत द्वारा नागरिकों को पट्टे भी दिये गये थे, तहसीलदार झुन्झुनू ने जांच कर पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर गत खसरा नम्बर 148, 149, व 153 में क्रमशः 3 बीघा 14 बिस्वा, 1 बीघा 6 बिस्वा व 10 बीघा कुल किता 15 बीघा भूमि चारागाह से बारानी सोयम में रूपान्तरित कर ग्राम पंचायत द्वारा कथित प्रयोजन की पूर्ति हेतु आवंटित करने की सिफारिश जिला कलक्टर झुन्झुनू से दिनांक 19.01.1977 को की गई तथा जिला कलक्टर झुन्झुनू ने उक्त वर्णित 15 बीघा भूमि की किस्म चारागाह से बारानी सोयम में रूपान्तरित करने बाबत राज्य सरकार को दिनांक 02.02.1977 को जरिये पत्र सिफारिश की व इस सम्बन्ध में उप शासन सचिव राजस्व विभाग से निवेदन किया एवं राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प. 2(53)राज/3/77 दिनांक 08.04.1977 के जरिये प्रस्तावित उपरोक्त भूमि को चारागाह से खारिज कर बारानी सोयम में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान कर दी जिस पर जिला कलक्टर झुन्झुनु ने दिनांक 25.04.1977 को उक्त 15 बीघा भूमि को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार बारानी सोयम में रूपान्तरित कर दी गई एवं आबादी विस्तार के लिऐ आबादी में घोषित कर दी तथा ग्राम पंचायत अजीतगढ को आबादी विस्तार के लिये आवंटन कर दी गई। इस प्रकार जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 02.02.1977 व 25.04.1977 व राज्य सरकार के उक्त आदेश दिनांक

08.04.1977 के पारित होने से यह एकंदम स्पष्ट हो गया कि अपीलान्ट के पिता को ग्राम पंचायत अजीतगढ द्वारा दिनांक 15.05.1972 को जारी किया गया पट्टा एक वैध दस्तावेज है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अपीलान्ट का उक्त पट्टा व वादग्रस्त भूमि पर कब्जा जिला कलक्टर झुन्झूनू व राज्य सरकार के उक्त वर्णित आदेश के अनुसार व प्रकरण की तमाम परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय मातहत द्वारा नियमित किये जाने योग्य है किन्तु इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई गौर न करने में अहम कानूनी गलती की है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2021 एवं नायब तहसीलदार मण्डावा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2021 को निरस्त फरमाया जावें व अपीलान्ट्स को उनकी मिल्कियत व कब्जे की उक्त पट्टेशुदा भूमि से बेदखल न किया जावें और यदि अपीलान्ट्स को बेदखल कर दिया जाता है तो उनके वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वापिस दिलवाने की कृपा करें और अपीलान्ट का यह भी वैकल्पिक निवेदन है कि उनके पिता के हक में जारी किया गया पट्टा दिनांक 15.05.1972 ग्राम पंचायत अजीतगढ़ को नियमित करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को फरमाया जावें एवं वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट्स के कब्जे का नियमन करने की कृपा करें व प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमायां जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि जिला कलक्टर झुन्झुनू के आदेश दिनांक 25.04.1977 द्वारा आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटन से पूर्व ही दिनांक 15.05.1972 को अपीलान्ट के पिता चिरंजीलाल मोदी को उक्त वादग्रस्त भूमि के पट्टे जारी किये गये है जो विधि सम्मत नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2021 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2021 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

23/12/22

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।